40

श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' पर समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई

चालीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, *2022/* अग्रहायण, 1944 *(*शक)

चालीसवां प्रतिवेदन

श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' पर समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई

20.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

20.12.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, *2022/* अग्रहायण, 1944 *(*शक)

विषय-सूची

समिति की संरचना

प्राक्कथन

अध्याय एक **प्रतिवेदन .....**

अध्याय दो **टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है .....**

अध्याय तीन **टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती .....**

अध्याय चार **टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है .....**

अध्याय पांच **टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के है .....**

परिशिष्ट

एक.* **समिति की 19.12.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश।**

दो. **बत्तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण।**

***इस साइकलोस्टाइल प्रति के साथ संलग्न नहीं।**

श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

श्री भर्तृहरि महताब - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
3. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री फिरोज वरुण गांधी
6. श्री सतीश कुमार गौतम
7. श्री बी.एन. बचेगौडा
8. डॉ. उमेश जी. जाधव
9. श्री धर्मेन्द्र कश्यप
10. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
11. श्री पकौड़ी लाल कोल
12. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
13. श्री दयाकर पसुनूरी
14. श्री खलीलुर रहमान
15. श्री डी. रविकुमार
16. श्री नव कुमार सरनीया
17. श्री भोला सिंह
18. श्री गणेश सिंह
19. श्री नायब सिंह सैनी
20. श्री के. सुब्बारायण
21. श्री गिरिधारी यादव

राज्य सभा

22. श्री नरेश बंसल
23. श्री नीरज डांगी
24. श्री आर. धरमार
25. प्रो. मनोज कुमार झा
26. श्री इलामारम करीम
27. सुश्री दोला सेन
28. श्री एम. शनमुगम
29. श्री शिबू सोरेन
30. श्री विजय पाल सिंह तोमर
31. श्री बिनोय विस्वम

सचिवालय

1. श्री टी. जी. चन्द्रशेखर	-	अपर सचिव
2. श्री डी. आर. मोहंती	-	निदेशक
3. श्री आदित्य रुंथाला	-	अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उसकी ओर से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' पर समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह चालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. बत्तीसवां प्रतिवदेन 15 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने बत्तीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर अपनी की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले उत्तर 19 जुलाई, 2022 को प्रस्तुत किए। समिति ने 19 दिसंबर, 2022 को अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकार किया।

3. बत्तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण अनुबंध-दो पर दिया गया है।

4. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
19 दिसंबर, 2022
28 अग्रहायण, 1944 (शक)

भर्तृहरि महताब
सभापति
श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति

अध्याय - एक

प्रतिवेदन

यह प्रतिवेदन कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' से संबंधित समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

2. बत्तीसवां प्रतिवेदन को 15 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया तथा राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इसमें कुल 31 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं। सभी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार से उत्तर प्राप्त हो गए हैं और इन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:-

(i)	सिफारिशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है सि .पैरा सं.:- 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 तथा 31	अध्याय दो कुल : 23 प्रतिशत: 74.19%
(ii)	सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती सि .पैरा सं.: 12	अधयाय तीन कुल:01 प्रतिशत:03.23
(iii)	सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता हैः सि .पैरा सं.:- 2, 19, 22 तथा 26	अधयाय चार कुल: 04 प्रतिशत: 12.90%
(iv)	सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैः सि .क्र .सं.:- 5, 9 तथा 13	अधया पांच कुल:03 प्रतिशत: 09.68%

3. समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय - 1 में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई टिप्पण और इस प्रतिवेदन के अध्याय - 5 में निहित टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-अंतिम कार्रवाई उत्तरों को यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

4. **अब समिति अपनी कुछ पूर्ववर्ती टिप्पणियों/सिफारिशों पर चर्चा करेगी, जिन्हें या तो दोहराए जाना अपेक्षित है या जिनपर और टिप्पणियां किया जाना जरूरी है।**

एक. <u>2021-22 के दौरान बजटीय आवंटन और उपयोग</u>

<u>(सिफारिश पैरा संख्या 2)</u>

5. **अपने पिछले प्रतिवेदन में, समिति ने नोट किया था कि** 2021 22-**के लिए बीई और आरई समान अर्थात** 2785.23**करोड़ रुपये था, जबकि** 310.1 2022.**तक वास्तविक व्यय** 1 700.53**करोड़ रुपये रहा है, जो निधि का** 61%05. **उपयोग है, जिससे वित्त वर्ष** 2021 22-**के अंतिम दो महीनों में शेष** %38.9**निधि का उपयोग किया जाना है। समिति का विचार था कि वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय में तेजी से कई क्षेत्रों में बचत होगी जिसके परिणामस्वरूप आवंटन अपर्याप्त होगा और वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी होगी। इसलिए समिति ने सिफारिश किया था कि मंत्रालय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी व्यय नियंत्रण दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करे और प्रत्येक तिमाही में निर्धारित राशि का आनुपातिक रूप से उपयोग करे।**

6. **समिति को प्रस्तुत अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने निम्नवत बताया है:-**

> **"समिति की सिफारिश/टिप्पणी को नोट कर लिया गया है। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि** 2785.23**करोड़ रुपए के ब.अ/.सं.अ .की तुलना में मंत्रालय का कुल खर्च** 2125.15**करोड़ रुपए था जो ब.अ/.सं.अ .का** %76.30**था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने या देर से प्रस्तुत करने के कारण, कुछ स्कीमों में व्यय अपेक्षित रूप से नहीं किया जा सका। तथापि, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इस मुद्दे को सख्ती से आगे बढ़ाते हुए इस समस्या से निपटने के उपाय कर रहा है। अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। व्यय नियंत्रण दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, मंत्रालय प्रत्येक स्कीम के मासिक व्यय योजनाओं)एमईपी (और तिमाही व्यय योजनाओं)क्यूईपी (के**

अनुसार प्रत्येक स्कीम के तहत व्यय की मासिक और त्रैमासिक समीक्षा करेगा और जहां आवश्यक होगा, सुधारात्मक कार्रवाई करेगा। इसके अलावा, आरंभ किए गए नए सिंगल नोडल अकाउंट)एसएनए (डैशबोर्ड के माध्यम से केंद्र प्रायोजित स्कीमों)सीएसएस (के तहत निधि प्रवाह की रियल टाइम निगरानी निधि के बेहतर उपयोग को सक्षम बनाएगी।"

7. समिति यह नोट करके चिंतित है कि 2021-22 के 2785.23 करोड़ रुपये के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में मंत्रालय का कुल व्यय केवल 2125.15 करोड़ रुपये का था, जो बजट अनुमान/संशोधित अनुमान का 76.30 प्रतिशत था। मंत्रालय के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब होने अथवा प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण कुछ स्कीमों में निर्धारित व्यय नहीं किया जा सका। बाधाओं को दूर करने के लिए मंत्रालय कई उपाय कर रहा है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने के लिए अधिकारियों पर दायित्वों का प्रत्यायोजन; व्यय नियंत्रण दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक स्कीम की मासिक व्यय योजनाओं (एमईपी) और त्रैमासिक व्यय योजनाओं (क्यूईपी) के अनुसार प्रत्येक स्कीम के अंतर्गत व्यय की त्रैमासिक समीक्षा और नए शुरू किए गए एकल नोडल खाता (एसएनए) डैशबोर्ड आदि के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के अंतर्गत निधि प्रवाह की रियल टाइम मॉनिटरिंग शामिल हैं। चूंकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग प्रमाण पत्रों की प्राप्ति न होना अथवा उन्हें विलंब से प्रस्तुत किया जाना निर्धारित निधियों के इष्टतम उपयोग के संबंध में एक निरंतर समस्या बनी हुई है, इसलिए समिति इस बात पर जोर देती है कि मंत्रालय अपने समीक्षा और निगरानी तंत्र को सशक्त करे ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग प्रमाण-पत्रों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके और निधि आवंटन और उपयोग का रियल टाइम आधार पर मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके, जिसके परिणाम स्वरूप योजना के अनुसार इष्टतम वार्षिक व्यय सुनिश्चित किया जा सकेगा।

दो. <u>जन शिक्षा संस्थान (जेएसएस)</u>

<u>(सिफारिश पैरा संख्या 15)</u>

8. अपने पिछले प्रतिवेदन में, समिति ने नोट किया था कि 304जेएसएस कार्य कर रहे थे, जिनमें 22-2021के दौरान स्वीकृत 70नए जेएसएस शामिल हैं। समिति ने यह भी पाया था कि मंत्रालय की परिकल्पना 741 जेएसएस की स्थापना करके और वर्तमान प्रशिक्षण क्षमता को 5. 4लाख उम्मीदवारों से बढ़ाकर वर्ष 2024तक 13.33लाख उम्मीदवारों तक करके देश के प्रत्येक जिले में जेएसएस नेटवर्क का विस्तार करना था। इस योजना के लिए लगातार कम बजट आवंटन को ध्यान में रखते हुए समिति मंत्रालय से एक ठोस और प्रेरक तरीके से अपेक्षित निधि आवंटन करने का आह्वान किया था ताकि महिलाओं, युवाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, प्रवासियों, फुटपाथ निवासियों आदि के लिए कौशल को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्षित जेएसएस स्थापित किए जा सकें।

9. समिति को प्रस्तुत अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने निम्नवत बताया है:-

> "एक बार फिर यह दोहराया जाता है कि मंत्रालय का विजन जन शिक्षण संस्थान के नेटवर्क का चरणबद्ध तरीके से देश के सभी जिलों में विस्तार करना है, बशर्ते कि धन की उपलब्धता हो। वित्त मंत्रालय को सभी जिलों में जन शिक्षण संस्थान स्कीम के विस्तार के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने के लिए सम्मत किया जा रहा है।"

10. समिति चरणबद्ध तरीके से देश के प्रत्येक जिले में जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) नेटवर्क का विस्तार करने के मंत्रालय के दृष्टिकोण का समर्थन करती है। चूंकि जेएसएस नेटवर्क का विस्तार निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है, इसलिए वित्त मंत्रालय को पर्याप्त निधियां आबंटित करने के लिए राजी किया जा रहा है। समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह वित्त मंत्रालय से अपेक्षित निधियां प्राप्त करने के लिए इस मामले को प्रबल तरीके से आगे बढ़ाए ताकि महिलाओं, युवाओं, प्रवासियों, दलितों आदि के लिए कौशल उन्नयन और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए 2024 तक प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से जेएसएस नेटवर्क स्थापित किया जा सके।

तीन. <u>संकल्प के अंतर्गत संवर्धित निधि वितरण और उपयोग</u>

(सिफारिश पैरा संख्या 18)

11. अपने पिछले प्रतिवेदन में, समिति ने नोट किया था कि संकल्प विश्व बैंक की सहायता से एक बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना है और मार्च, 2023तक कार्यान्वयन अवधि सहित 4455करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ सीसीईए द्वारा अनुमोदित है। योजना के लिए बीई को आरई चरण में 500करोड़ रुपये से घटाकर 185करोड़ रुपये कर दिया गया था, जबकि वित्तीय वर्ष 21-2020 के लिए एई 156.95 करोड़ रुपये था। इसी तरह, 271 करोड़ रुपये का बीई घटाकर आरई चरण में 153.47करोड़ रुपये कर दिया गया, जबकि वित्त वर्ष 22-2021के लिए एई केवल 72.97 करोड़ रुपये 31.12.2021) तक (था। यद्यपि, समिति इस योजना के कार्यान्वयन पर कोविड 19-महामारी के प्रभाव को स्वीकार करते हुए, लगातार कम निधि उपयोगिता को नोट कर चिंतित है। मंत्रालय कार्यान्वयन का पता लगाने और निधि संवितरण के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित कर रहा है। समिति मंत्रालय से समीक्षा बैठकों में तेजी लाने और निगरानी तंत्र को सशक्त करने का आग्रह करती है ताकि परियोजना समय सीमा को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए निधि संवितरण और उपयोगिता में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

12. समिति को प्रस्तुत अपने की गई कार्रवाई नोट में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने निम्नवत बताया है:-

> "समिति की सिफारिशों को अनुपालन के लिए नोट किया जाता है। संकल्प के तहत स्वीकृत निधि के उपयोग के लिए मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधि के प्रभावी और अविलम्ब उपयोग के लिए, मंत्रालय ने संकल्प के अंतर्गत स्वीकृत/अनुमोदित निधि के भीतर संकल्प के समस्त परिणाम क्षेत्रों में निधि को पुनर्विनियोजन कार्यकलापों/पुनः वितरित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी अधिकार दिया है।"

13. समिति इस बात की सराहना करती है कि मंत्रालय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है और उन्हें संकल्प के तहत स्वीकृत/अनुमोदित निधियों के अंतर्गत संकल्प के परिणाम प्रदान करने वाले क्षेत्रों में निधियों को पुनर्विनियोजन की गतिविधियों/पुनर्वितरण की अनुमति दे रहा है। समिति का सुविचारित मत है कि ये सही दिशा में उठाए गए कदम हैं और मंत्रालय से आग्रह करती है कि इस योजना के अंतर्गत निधियों के प्रभावी और त्वरित उपयोग के लिए इस रुझान की निरंतरता को बनाए रखे।

चार. <u>संकल्प के अंतर्गत प्रस्तावों</u>

(<u>सिफारिश पैरा संख्या 19</u>)

14. **अपने पिछले प्रतिवेदन में, मंत्रालय की इस दलील को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने देश भर के आकांक्षी और पिछड़े जिलों से संकल्प के तहत वित्त पोषित की जाने वाली विशेष परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था, समिति ने सिफारिश किया था कि मंत्रालय प्रस्तावों को शीघ्रता से प्रस्तुत करने के लिए पिछड़े और आकांक्षी जिलों को अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय तंत्र को सुदृढ़ करे ताकि संकल्प के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं को समय पर शुरू और पूरा किया जा सके। समिति ने यह भी इच्छा जताई थी कि मंत्रालय ऐसे जिलों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों को जिला मशीनरी के सहयोग से ऐसे जिलों की हाशिए पर रहने वाली आबादी के बड़े वर्ग को लक्षित करने के लिए नवोन्मेषी परियोजनाएं प्रस्तुत करने पर भी विचार कर सकता है।**

15. **समिति को प्रस्तुत अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने निम्नवत बताया है:-**

> **"मंत्रालय ने राज्य कौशल विकास मिशनों से विशेष परियोजना तैयार करने में जिलों की सहायता करने का अनुरोध किया है, जो युवाओं की कौशल आवश्यकताओं, जिलों के युवाओं की और वंचित आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करती हो। इसके अलावा, एमएसडीई ने इन विशेष परियोजनाओं को तैयार करने में जिले की सहायता करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय अध्येताओं को नियुक्त किया है। एमएसडीई ने परियोजनाओं को तैयार करने के लिए तकनीकी जानकारी पर उन्मुखीकरण हेतु फेलो के साथ कार्यशालाएं भी शुरू की हैं और कौशल और उद्यमशीलता इकोसिस्टम में सफल मॉडलों पर उन्हें प्रदर्शित करने के लिए चर्चा भी की है। इसके अलावा, इन नवोन्मेषी परियोजनाओं को तैयार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों, सहयोगी आईआईएम और एमजीएनएफ के साथ एक गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया जाना तय किया गया है।"**

16. संकल्प के तहत विशेष परियोजनाओं को डिजाइन करने में जिलों की मदद करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों का संज्ञान लेते हुए, समिति यह दोहराना चाहती है कि इन क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण चुनौतियों के मद्देनजर आकांक्षी और पिछड़े जिलों को विशेष सहायता

की आवश्यकता है। तदनुसार, पिछड़े और आकांक्षी जिलों में गैर सरकारी संगठनों और अन्य सामाजिक सेवा संगठनों की साझेदारी के साथ संबंधित एजेंसियों की सहायता के लिए संकेंद्रित प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता है ताकि युवाओं और हाशिए की आबादी की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से और त्वरित रूप से डिजाइन किया जा सके।

पांच. <u>पीएम-युवा के अंतर्गत नए/बड़े उद्यमों का सृजन</u>

(सिफारिश पैरा संख्या 22)

17. **हथकरघा, एलईडी बल्ब, खेती, यात्रा और पर्यटन आदि जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने में बहुत कम नए/बड़े उद्यमों के सृजन को देखते हुए समिति ने अपनी बत्तीसवीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि मंत्रालय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षुओं/उम्मीदवारों को इन क्षेत्रों में नए/बड़े उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित करने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ सहयोग करे।**

18. **समिति को प्रस्तुत अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने निम्नवत बताया है:-**

> **"प्रयोगिक परियोजना के लिए लाभार्थियों का चयन उनके संगठन को स्थापित करने अथवा उनका स्तर बढ़ाने की उनकी रुचि के आधार पर किया गया था और यह क्षेत्र विशिष्ट नहीं था। हालांकि, हथकरघा और हस्तशिल्प, एलईडी बल्ब और इलेक्ट्रीशियन, खेती, यात्रा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में प्रयोगिक परियोजना) पीएम युवा (के तहत बनाए गए नए और बड़े उद्यमों की संख्या नीचे दी गई है:**

सेक्टर	**नए**	**स्केल-अप**	**योग**
हथकरघा और हस्तशिल्प	29	13	42
एलईडी बल्ब और इलेक्ट्रीशियन	24	29	53
खेती	8	2	10
यात्रा और पर्यटन	27	26	53
सकल योग	**88**	**70**	**158**

19. समिति ने नोट किया कि पायलट परियोजना (पीएम युवा) के तहत हथकरघा और हस्तशिल्प, एलईडी बल्ब और इलेक्ट्रीशियन, खेती, यात्रा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में 88 नए और 70 स्केल-अप उद्यम सृजित किए गए हैं। मंत्रालय ने यह तर्क दिया है कि पायलट परियोजना के लिए लाभार्थियों का चयन उनके संगठन की स्थापना अथवा उन्नयन के उनके रुझान के आधार पर हुआ है तथा यह चयन क्षेत्र विशिष्ट के आधार पर नहीं हुआ है। यही कारण है कि समिति ने अपने पिछले प्रतिवेदन में एमएसडीई को अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ सहयोग करने के लिए कहा था ताकि कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षुओं/उम्मीदवारों को इन क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित करने/उनके उद्यम का उन्नयन करने के लिए प्रेरित किया जा सके। समिति एक बार फिर दोहराती है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के लिए यह आवश्यक है कि वह उपरोक्त आशाजनक और संभावित क्षेत्रों में नए उद्यमों की स्थापना करने/ अपने उद्यमों का उन्नयन करने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रोत्साहित/प्रेरित करने हेतु अन्य हितधारकों के सहयोग से ठोस प्रयास करे।

छह. <u>सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएम-युवा का विस्तार</u>

(सिफारिश पैरा संख्या 24)

20. **समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में कहा था कि वर्तमान में पीएम-युवा स्कीम में** 10 **राज्यों और** 2**संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है और अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजना के विस्तार के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि इस प्रयोजनार्थ प्रायोगिक परियोजना का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और लाभार्थियों के कल्याण के लिए अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कीम के विस्तार के लिए समय -सीमा निर्धारित की जाए।**

21. **समिति को प्रस्तुत अपने की गई कार्रवाई नोट में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने निम्नवत बताया है:-**

"पीएम-युवा योजना का तृतीय पक्ष मूल्यांकन कार्य बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित संगठन को दिया गया था। मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया गया है और तदनुसार उद्यमशीलता विकास के लिए विशेष परियोजनाओं की परिकल्पना की जा रही है।"

22. अब जबकि थर्ड पार्टी के मूल्यांकन का कार्य पूरा हो गया है और उद्यमिता विकास के लिए विशेष परियोजनाओं की परिकल्पना की जा रही है, समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह लक्षित लाभार्थियों की सहायता और मदद करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस योजना का विस्तार हेतु एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करे।

सात. <u>आईटीआई में संकाय की कमी</u>

(सिफारिश पैरा संख्या 26)

23. **अपने पिछले प्रतिवेदन में, समिति यह भी देखकर चिंतित थी कि एनसीवीटी पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार** 21.02.2022**)के अनुसार (सभी आईटीआई में पेशेवरों के लिए संस्वीकृत पदों की** 1,99,387**पदों में से** 1,29,805**पद खाली है। इतनी बड़ी संख्या में पेशेवरों के पद रिक्त होने पर नाखुशी व्यक्त करते हुए समिति मंत्रालय से आईटीआई में पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने पर जोर देती है ताकि दक्ष और उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण देना सुनिश्चित किया जा सके।**

24. **समिति को प्रस्तुत अपने की गई कार्रवाई नोट में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने निम्नवत बताया है:-**

" 13.05.2022**तक, सभी आईटीआई में व्यवसायियों के लिए स्वीकृत** 1,99,577**पदों में से** 1,29,583**पद एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल के अनुसार खाली दिखाए गए हैं। आईटीआई में व्यवसायियों की कमी को दूर करने तथा कुशल और उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण वितरण सुनिश्चित करने के लिए एमएसडीई के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय)डीजीटी (ने निम्नलिखित पहल की है:**

- **डीजीटी ने आईटीआई में व्यावसायिक प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए सीआईटीएस को आवश्यक अर्हता के रूप में अनिवार्य कर दिया है ताकि आईटीआई छात्रों को एकरूप, मानकीकृत और व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जा सके।**

- **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई थी कि वे देश भर में व्यावसायिक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए सीआईटीएस अर्हता को अनिवार्य अर्हता के रूप में शामिल करके अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आईटीआई में व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए भर्ती नियमों को संशोधित करें। इस संबंध में, दिनांक 02फरवरी, 2022 का अ.शा .पत्र संख्या एमएसडीई(डीजीटी)--2020/07/19सीडी भी सभी राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को डीजी/एएस, डीजीटी द्वारा जारी किया गया था।**

- **किसी संस्थान से शिक्षण में कम से कम 03वर्षों के अनुभव के साथ सेवारत आईटीआई प्रशिक्षकों)दीर्घावधि अनुबंध सहित (को राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण-पत्र)एनसीआईसी (जारी करने के लिए, डीजीटी ने दिनांक 26अप्रैल, 2022 के डीजीटी पत्र संख्या डीजीटी--2022/5/11012ओ/ओ निदेशक)सीएफआई (के माध्यम से आरपीएल दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है।**

- **डीजीटी ने दिनांक 28मार्च, 2022 के डीजीटी पत्र संख्या सीआईटीएस-2022/3/(01) 001-ओ/ओ निदेशक)सीएफआई (के माध्यम से अपने आईटीआई को आईटीओटी)प्रशिक्षक के प्रशिक्षण संस्थान (में परिवर्तित करके सीआईटीएस ट्रेडों की संबद्धता के लिए सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के निदेशकों को पत्र जारी किए हैं। डीजीटी ने वर्ष 2022से सीआईटीएस)प्रशिक्षक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी मॉडल आईटीआई को आईटीओटी में बदलने की मंजूरी दी है।**

25. समिति यह नोट कर अत्यंत चिंतित है कि राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) एमआईएस पोर्टल के अनुसार 13 मई, 2022 की स्थिति के अनुसार तक देश के सभी आईटीआई में पेशेवरों के लिए स्वीकृत 1,99,577 पदों की संख्या में से 1,29,583 पद रिक्त हैं। ऐसा बताया गया है कि आईटीआई में पेशेवरों की कमी को दूर करने और कुशल और उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशक (डीजीटी) कई पहल कर रहे हैं। चूंकि पेशेवरों और व्यावसायिक प्रशिक्षकों की भारी कमी आईटीआई की स्थापना के उद्देश्य को ही विफल करती है, इसलिए समिति इस बात जोर देती है कि मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अपने समन्वय तंत्र का लाभ उठाए और आईटीआई में अपेक्षित संख्या में पेशेवरों/अनुदेशकों की भर्ती के लिए शुरू किए गए उपायों को सशक्त करने पर बल दे ताकि आईटीआई छात्रों को एक समान, मानकीकृत, व्यवस्थित और उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

नई दिल्ली; **भर्तृहरि महताब**

19 दिसंबर, 2022 **सभापति**

28 अग्रहायण, 1944 (शक) **श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति**

परिशिष्ट -II

(प्राक्कथन का पैरा संख्या 3 देखिए)

श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति की बत्तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

		कुल	प्रतिशत
I.	सिफारिशों की कुल संख्या	31	
II.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:- (सिफारिश पैरा सं. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 और 31)	23	74.19%
III.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:- (सिफारिश पैरा सं.. 12)	01	03.23%
IV	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:- (सिफारिश पैरा सं. 2, 19, 22 और 26)	04	12.90%
V	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के हैं- (सिफारिश पैरा सं. - 5, 9 और 13)	03	09.68%
			100%